

न्यायालय तहसीलदार, डीडवाना - नागौर (राज०)  
बईजलास - श्री पैमाराम चौधरी आर.टी.एस.

मु० सं० ०९/१७

प्रार्थी  
पटवारी हल्का  
बालिया

V  
S

दायर दिनांक 18.04.2017

अप्रार्थी

श्री अयुब पुत्र श्री रहमत अली  
जाति देशवाली निवासी रामसाबास

अन्तर्गत राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 12.09.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालिया ने दिनांक 18.04.2017 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी श्री अयुब पुत्र श्री रहमत अली जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह. डीडवाना ने खसरा नम्बर 61 किरम गै.मु.गोचर रकबा 67.19 बीघा में से 2.08 बीघा भूमि पर पत्थर रोपकर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का बालिया की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी के नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी लगातार अनुःउपस्थित रहा।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एवं पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम रामसाबास के खसरा नम्बर 61 किरम गै०मु० गौचर रकबा 67.19 बीघा में से 2.08 बीघा भूमि पर श्री अयुब पुत्र श्री रहमत अली जाति देशवाली निवासी रामसाबास तह. डीडवाना ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा०भू०राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को ख०न० 61 किरम किरम गै०मु०गौचर रकबा 67.19 बीघा में से 2.08 बीघा भूमि पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते हैं। तथा भूमि के वार्षिक लगान दर 0.30 रु० के 50 गुणा से रूपये 20 अक्षरे बीस रूपये मात्र की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू०अ०निरीक्षक निम्बी कलां व पटवारी हल्का बालिया को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं त०रा०ले० कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

समांशित पृष्ठियां रजिस्टर रा.लेखा  
सं.२५ के पृष्ठ 12 पर  
दिनांक 12/9/17 को अंकित की गई।

त.रा.ले.डीडवाना

श्री पैमाराम चौधरी

(पैमाराम चौधरी)

तहसीलदार, डीडवाना